INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp 477/23

Certificate No.	:	IN-UP49070878691884V
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2023 02:49 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14124704/ MEERUT/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1412470493210853847049V
Purchased by	:	GIRRAJ RATAN MEMORIAL TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	YOGENDRA PAL SINGH AND OTHERS
Second Party	:	GIRRAJ RATAN MEMORIAL TRUST
Stamp Duty Paid By	:	GIRRAJ RATAN MEMORIAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

MOHD. AKRAM KHAN, Advocate, 32, Civil Court Compound, Meerut

NASEER AHMAD, L.No.: MT-70, MEERUT, 9634760555, ACC ID NO. UP14124704

E-STAMP VERIFIED

E-STAMP LOCKED

IN-UP49070878691884V

Please write or type below this line

ट्रस्ट डीड

PU 0007246586

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

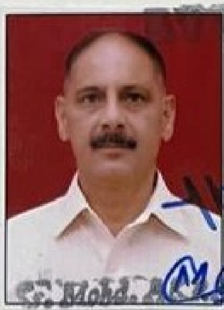

ATTESTED
ADVOCATE
MEERUT.

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन–800/– रूपये

जो ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नं०–IN-UP49070878691884V दिनांक 01.07.2023 के जरिये दिया गया है।

हम कि योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) व श्रीमती प्रतिभा सिंह पुत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) व तुषार चौधरी पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) के हैं जिन्हें आगे व्यवस्थापक/संस्थापक/ट्रस्टीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ व अन्य क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन **11,000/–** रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन **11,000/–** रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहें हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **गिरराज रतन मैमोरियल ट्रस्ट** GIRRAJ RATAN MEMORIAL TRUST होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन **11,000/–** रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य, अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलिज व विश्वविद्यालय व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन करना, यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा। विदेशी संस्थाओं व एन0जी0ओ0 से आर्थिक सहायता प्राप्त करना व उससे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य सोसायटी व अन्य ट्रस्टों का उक्त ट्रस्ट में समायोजन करना।

6. यह कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना लाभ रहित कार्यों यानि Not For Profit कार्य के लिये की गयी है।

7. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अंतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य–

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज, वैटनरी कॉलिज, आयुर्वेद व होम्योपैथिक कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिग कालिज, पॉलीटेक्नीक कॉलिज टेकनीकल कॉलिज व आई.टी.आई. संस्थान आदि की स्थापना व संचालन करना।

(3) बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान कराना।

(4) लड़के व लड़कियों के लिये अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

(5) स्कूल, कालिज, तकनीकी व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतू कॉलिज एवं स्किल डवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

(6) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) (सी.बी.एस.ई. एण्ड आई.सी.एस.ई.) व मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिये विशेष विद्यालयों की स्थापना करना एवं संचालन करना व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

(7) प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा के लिये विद्यालय खोलना तथा प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिये कार्य करना।

(8) समाज के अन्य सभी वर्ग के उत्थान व विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं (तकनीकी एवं प्रबन्धन तथा स्कूली शिक्षा) की स्थापना एवं संचालन करना, इस वर्ग के व्यक्तियों के लिये समाज उपयोगी कार्य करना।

(9) समाज के दुर्बल, गरीब, बेघर व कमजोर के व्यक्तियों के लिये सभी तरह के चैरिटी के कार्य करना। उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करना, भोजनालय बनवाना।

(10) निर्धन व गरीब व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क व कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना। निर्धन लड़कियों की विवाह का व्यवस्था करना।

(11) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(12) समाज के वंचित, दबे कुचले व शोषित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष स्कूल, कॉलिज की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

(13) लावारिस शवों का अन्तिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार कराने की व्यवस्था करना।

(14) खेलों को बढ़ावा देना एवं उसके लिये कार्य करना। स्पोर्ट्स कॉलिज की स्थापना करना। खेल का मैदान व स्टेडियम आदि का निर्माण व संचालन आदि कराना।

(15) धर्मशाला, आश्रम, क्रेच, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

(16) देश व विदेश से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दान व सहायता प्राप्त करना।

(17) समाज तथा समाज के अन्य सभी वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा उक्त वर्ग के तथा सभी जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता प्रदान करना।

(18) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

(19) समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर संर्वे कराना।

(20) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं अन्य गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना। गम्भीर बीमारियों के अस्पताल खुलवाना।

(21) गंगा को प्रदुषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

(22) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना।

(23) भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी सभी योजनाओं के बारे में आम जनता को जागृत करना व उनका क्रियान्वयन कराना।

(24) अस्पताल, औषधालय, पैथोलोजी लैब, ब्लड बैंक, आई बैंक, रेडियोलोजी व अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(25) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(26) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(27) अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम व विधवा आश्रम की स्थापना करना व संचालन करना।

(28) गौशाला का निर्माण कराना व गायों की रक्षा व देखभाल करना।

(29) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(30) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर ट्रस्ट हेतू भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(31) वार्तावरण को दूषित होने से बचाने के लिये कार्य करना।

(32) वन, वन्य जीवन, वाटर शेडस को बचाना व उसके बचाव के लिये कार्य करना।

(33) ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्थान व ऐतिहासिक रूचि के भवनों की सुरक्षा करना व उसके लिये कार्य करना।

(34) आम जनता की उपयोगिता व लाभ के लिए कार्य करना।

(35) उक्त ट्रस्ट की स्थापना बिना किसी लाभ (Not for Profit) के उद्देश्य से की गयी है यानि उक्त ट्रस्ट की स्थापना समाज के हित व कल्याण के लिये की गयी है।

(36) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

(37) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

(38) योग केन्द्र खोलना, योग की शिक्षा देना एवं समाज में व्यक्तियों को स्वास्थ के बारे में जागृत करना।

(39) समाज में व्यक्तियों को स्वच्छता के बारे में जागृत करना।

<u>कार्य क्षेत्र–</u>

8. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

<u>ट्रस्टीगण के अधिकार, कर्त्तव्य एवं नियुक्ति–</u>

9. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को चाहे जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

11. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। व्यवस्थापकों को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा।

12. यह कि ट्रस्ट की समिति निम्नवत होगी–

   1. श्रीमती प्रतिभा सिंह पुत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) – **अध्यक्ष**
   2. अनिष्का चौधरी पुत्री श्री योगेन्द्र पाल सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) – **उपाध्यक्ष**
   3. तुषार चौधरी पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) – **सचिव**
   4. योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह निवासी बी–57/2, राजेन्द्रपुरम, गंगानगर मेरठ (उ0प्र0) – **कोषाध्यक्ष**

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वे व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। उक्त पदाधिकारियों का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगा। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा या जिसे ट्रस्टीगण चाहे सर्वसम्मति से नया पदाधिकारी बना सकते हैं। अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। निवर्तमान पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पुनः भी चुनाव हो सकता है। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो अध्यक्ष व सचिव को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग–पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

13. एक व्यक्ति न्यासी/ट्रस्टी पद से मुक्त हो जायेगाः–

(i) यदि उसका निधन हो जाता है।

(ii) यदि उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा नैतिक पतन के अपराध में दोषी पाया जाता है।

(iii) यदि उसे ट्रस्ट के विरूद्ध काम करते हुए पाया जाता है।

(iv) यदि अध्यक्ष उसे त्याग पत्र देने के लिए कहते हैं और वह न्यासी त्याग पत्र देने से मना करता है तो उसे न्यासियों की अगली बैठक में हटा दिया जायेगा।

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की

कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना देना ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित करना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना। किन्तु उपसचिंव के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में किन्हीं दो पदाधिकारियों द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्वता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है कि तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष एवं सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

16. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा व्यवस्थापकों की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

17. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों के संदर्भ में निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों का पालन सम्बद्धता, परमिशन प्रदान करने वाले संगठन व संस्था (सेन्ट्रल बोर्ड सैकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली) आदि के अनुरूप किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित नियम शामिल हैं:–

1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्य प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड सैकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
9) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

18. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे पारिश्रमिक देने का तथा ट्रस्टी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को अध्यक्ष/सचिव के अनुमोदन उपरान्त 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु अध्यक्ष व सचिव को अन्य स्थान पर जहाँ वो उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

20. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व अन्य सम्पत्तियों को किराये पर लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. यह कि ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

22. यह कि अध्यक्ष व सचिव को उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज़ पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. यह कि ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी वादों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार मेरठ होगा।

24. यह कि व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गयें कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

25. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी अन्य प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स/खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किन्हीं दो पदाधिकारियों भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

26. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष एवं सचिव को होगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने व कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. यह कि ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी वसीयत द्वारा अपनी पत्नि या बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। यदि कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नहीं किया गया तो उक्त ट्रस्टी की संतान या कानूनी उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्ट के स्थान पर नया ट्रस्टी होगा। नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

29. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

30. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और न्यासीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

31. यह कि ट्रस्ट से जो लाभ होगा वो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया जायेगा।

32. यह कि ट्रस्ट से जो भी लाभ होगा वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं मिलेगा बल्कि जनता के हित के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

33. यह कि एतद्द्वारा स्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय/इररिवोकेबिल होगा। यदि किसी संस्था या विभाग की कोई देनदारी ट्रस्ट पर होगी तो पहले ट्रस्ट की सम्पत्ति से उक्त देनदारी को चुकता किया जायेगा। उसके बाद जो ट्रस्ट की सम्पत्ति बचेगी वो सम्पत्ति समानहित व समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। उक्त ट्रस्ट की प्रकृति इररिवोकेबिल होगी।

34. यह कि ट्रस्ट की आय को आयकर अधिनियम 1961 से छूट मिल जाये तो ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अच्छे ढंग से की जा सकेगी। यदि ट्रस्ट डीड का कोई पैरा या सब पैरा आयकर अधिनियम के छूट देने वाले प्राविधानों के विरूद्ध होता हैं तो ऐसी अवस्था में यहां यह घोषणा की जाती है कि ट्रस्ट के उद्देश्यों में ऐसे प्रावधान शामिल किये गये हैं जो आयकर अधिनियम के छूट देने वाले प्रावधानों से मेल खाते हैं।

35. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट से प्राप्त आय को अपने विवेकानुसार व अनुपात में परोपकार/कल्याण (चैरिटी) के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लायेंगे।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापकों–न्यासीगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

जितेन्द्र

गा० Mkram Khan Adv — गा०

AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT.

(ह० जितेन्द्र)
पुत्र श्री नेपाल सिंह
निवासी रसूलपुर औरंगाबाद,
तह० व जिला मेरठ।

गा० Faizan
(हस्ताक्षर फैजान)
पुत्र श्री शाहनवाज
नि० ग्राम तोड़ी 13 बिस्वे,
तह० मोदीनगर (गाजियाबाद)

तहरीर तारीख 03.07.2023 मसविदा मौहम्मद अकरम खान एडवोकेट टाईपकर्ता विपिन कुमार।

Mkram Khan Adv

AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT.